का॰ज्ञ॰सं॰ 20034/53/92. रा.भा. (अ. एवं वि.), दिनांक 17.7.1992

विषय: राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम की आपूर्ति और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना।

संसद में दिसम्बर, 1967 में भारत सरकार का राजभाषा नीति संबंधी संकल्प पारित किया गया था जिसके पैरा-1 में सभा ने निम्नलिखित संकल्प किया।

> "यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा..."

2. उक्त संकल्प, गृह मंत्रालय के दिनांक 18.1.1968 के सं॰-एफ 5/8/65-रा॰भा॰ द्वारा अधिसूचित किया गया था। तदनुसार राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जो कि अनुपालन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, निगमों, आयोगों और बैंकों आदि को भेजा जाता है।

3. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-4 के अनुसरण में गठित "संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड 4 में की गई संस्तुतियों में से एक संस्तुति वार्षिक कार्यक्रम के यथा-समय वितरण और अनुपालन के संबंध में भी की गई है। प्रतिवेदन की संस्तुति के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश, राजभाषा विभाग के दिनांक 28.1.1992 के संकल्प सं॰ 12019/10/91-रा॰भा॰ (भ) से जारी किए गए। **उक्त संकल्प की मद-7** में संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुति को स्वीकारते हुए यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम सभी मंत्रालयो/विभागों आदि को फरवरी के अंत तक उपलब्ध करा दिया जाएगा और संबंधित मंत्रालय/विभाग उक्त कार्यक्रम की अपेक्षित प्रतियां प्राप्त करके अपने संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, आयोगों आदि को तथा विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों को अप्रैल के अंत तक भिजवा देना सुनिश्चित करेंगे और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित कराएंगे।

4. तदनुसार, वर्ष 1993-94 का कार्यक्रम फरवरी, 1993 तक प्रकाशित कर दिया जाएगा और मंत्रालय/विभाग अपने कार्यालयों के लिए उसकी अपेक्षित प्रतियां राजभाषा विभाग से प्राप्त कर लेंगे। भविष्य में भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मंत्रालय/विभाग इसी प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां फरवरी में प्राप्त करके अप्रैल के अंत तक अपने कार्यालयों को भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।

5. जहां तक वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का संबंध है, इस विषय में कृपया राजभाषा नियम, 1976 का नियम 12 देख लिया जाए जिसके अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि अधिनियम, नियमों के उपबंधों का और केंद्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर दिए गए राजभाषा हिंदी में कामकाज करने संबंधी निदेशों का अनुपालन पूरी तरह हो।

6. इस संबंध में केंद्रीय हिंदी समिति की, जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित सर्वोच्च समिति है, दिनांक 2.12.1987 को हुई 21 वीं बैठक में गृह मंत्री जी का निम्नलिखित निदेश भी सभी के ध्यान में लाया जाता है:—

> **"मैं आशा करता हूं कि केंद्रीय सरकार के कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के कार्यक्रम का दृढ़ता से अनुपालन किया जाएगा।"**

कृपया, यह निदेश सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।